प्रेस विज्ञप्ति

08.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, हैदराबाद जोनल कार्यालय ने श्रीमती नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत103 . 4करोड़ रुपये) लगभग) (बही मूल्य17 . 14करोड़ रुपये (के बाजार मूल्य वाली 27 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी प्रबंध निदेशक श्रीमती नोहेरा शेख के खिलाफ भोले-भाले लोगों को धोखा देने और लगभग 36% प्रति वर्ष के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर उनसे हजारों करोड़ रुपये एकत्र करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।

ईडी की जांच से पता चला है कि श्रीमती नोहेरा शेख और उनकी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपराध की आय)पीओसी (का कुछ हिस्सा अपने नाम पर, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर और साथ ही अपनी कंपनियों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया।

ईडी ने इससे पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा पीओसी से अर्जित 400 करोड़ रुपये)लगभग (की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने नोहेरा शेख को पहले गिरफ्तार किया था। माननीय विशेष न्यायालय) पीएमएलए(, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत) पीसी (के साथ-साथ पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

ईडी 2020 की डब्ल्यूपी) सीआर (31 में दिनांक 11.11.2024 के आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों के दावों के निपटान के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई नोहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी है। ईडी द्वारा इन दोनों संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।

आगे की जांच जारी है।